


295
19

पत्रावली पेश हुई। वाजी व वकीलवासी/आवेदन
को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगावते पर भी कोई न्यायालय हाजिर
नहीं आया अतः आवेदन अक्षम हाजरी
अक्षम पंरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली जमल शुभा देवरा लम्बल
रुम व काठिल रफ्तार है।


राजेश कविशरी, वाराणसी